

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 06/02/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एम.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी का वाद पत्र इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे स्व. लाल सिंह के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 4 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 42 के प.नं. 47/290 के किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2 कुल तादादी 1.265 हैक्. का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है जिसमे से स्व. लाल सिंह पुत्र हजूर सिंह का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा





फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/02/2026 को
मेरे द्वारा शाखर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(³उमा मित्तल) (सहायक कलक्टर, पिलीबंगा)
उपखण्ड अधिकारी, पिलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पिलीबंगा